कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर (म.प्र.)

विज्ञापन एजेंसी अनुबंधित करने बावत

क्रमाक / ग्वा.वि.प्रा / जनसम्पर्क / 2022 / 8017 दिनांक 09-3-22

इस कार्यालय द्वारा नियमित रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि तक के लिए विज्ञापन एजेन्सी अनुंबधित की जाना है । इच्छुक विज्ञापन एजेंन्सी विज्ञापन देयकों में केन्द्र / राज्य शासन द्वारा समाचार पत्रों हेतु स्वीकृत डी.ए.व्ही.पी / डी.पी.आर दर पर प्रदाय की जाने वाली छूट(प्रतिशत आधार) के उल्लेख सहित अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्ताव में सभी प्रकार के टेक्स शामिल रहेगे अर्थात टेक्स एजेन्सी का ही देने होंगें। अधिकतम छूट देने वाली एजेंसी को कार्यादेश दिया जायेगा। एजेन्सी को कार्यालय से ही विज्ञापन आदेश तथा प्रकाशन सामग्री प्राप्त करनी होगी एवं आदेशित तिथि पर प्रकाशन कराकर प्रकाशित विज्ञापन का मूल समाचार पत्र दो प्रतियों में कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन एजेंसी को रूपये 20,000 / – की धरोहर राशि कार्यालय में जमा करानी होगी, जो सेवा–शर्तो के उल्लधंन अथवा संतोषजनक सेवा प्रदान न किये जाने की स्थिति में जब्त की जा सकेगी। विज्ञापन एजेन्सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि सहित अपने प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से दिनांक 25.03.2023 को सायं 3.00 बजे तक ग्वालियर विकास प्राधिकरण कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकते है किसी भी प्रकार के पोस्टल विलम्ब हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा । बिना धरोंहर रशि के प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा । प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 28.03.2023 को सायं 5.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष समिति द्वारा खोले जाएगे जिसमें आवेदन कर्ता उपस्थित रह सकेगे। निविदा प्रस्ताव हेतु आवेदन प्रपत्र तथा शर्तों को प्राधिकरण की बेवसाइट www.gdagwalior.in से डाउन लोड किया जा सकता हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

8.3.22

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर (म.प्र.)
1, रवि नगर, ग्वालियर
पिन–474001
बेबसाईट www.gdawalior.in

दिनांक'————————

क्रमाक/ग्वा.वि.प्रा/जनसम्पर्क/2022/

विज्ञापन एजेन्सी हेतु आवेदन

1– फर्म/संस्था का नामः————————————————

2– फर्म/संस्था का पता————————————————

3– प्रबन्धक संचालक का नाम————————————————

4– दूरभाष एवं मोबाईल नंबर————————————————

5– ई–मेल————————————————

6– संस्था पंजीयन प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करें)————————————————

7– संस्था का आयकर खाता क्रमांक (छाया प्रति संलग्न करें)————————————————

8– संस्था का जी.एस.टी पंजीयन क्रमांक (छाया प्रति संलग्न करें)————————————————

9– ग्वालियर विकास प्राधिकरण को दी जाने वाली छूट (प्रतिशत आधार में)————————————————

10– धरोहर राशि के डिमॉण्ड ड्राफ्ट व तिथि का विवरण————————————————

————————————————————————————————

शर्तेः–

1– प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन देयकों का भुगतान समाचार पत्रों की स्वीकृत डी.ए.व्ही.पी/डी.पी.आर दर के आधार पर किया जाता है अतः एजेन्सी को समाचार पत्रों के विज्ञापन देयक भुगतान हेतु डी.ए.व्हीपी./डी.पी. आर दर प्राधिकरण को दी जाने वाली छूट के आधार पर ही कार्यालय को प्रस्तुत करने होगे जिससे सभी प्रकार के टेक्स शामिल रहेगे अर्थात टेक्स एजेन्सी का ही देने होगे ।

2– एजेन्सी को कार्यालय से ही विज्ञापन आदेश तथा प्रकाशन सामग्री प्राप्त करनी होगी एवं आदेशित तिथि पर विज्ञापन प्रकाशित कराकर मूल समाचार पत्र दो प्रतियों में कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।

3– बिना धरोहर राशि के प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा तथा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार किए जाएगे ।

4– कार्यादेश दिनांक से 31.3.2023 तक कार्य दिया जाएगा तदउपरान्त कार्य संतोषप्रद होने पर उक्त अवधि के बढाया जा सकेगा ।

5– सेवा शर्तो के उल्लधंन अथवा संतोषजनक सेवा प्रदान न करने की स्थिति में धरोहर राशि (रूपये दस हजार) राजसात कर ली जायेगी ।

6– किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण का विनिश्चिय अंतिम होगा ।

7– मै उक्त नियम/शर्तो को स्वीकार करते हुए अपना प्रस्ताव प्राधिकरण को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

एजेन्सी संचालक के हस्ताक्षर————————
एजेन्सी संचालक का नाम ————————
एजेन्सी का नाम एवं पता————————

8.3.22